न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **208 / 2017**

दायर दिनाँक **26.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. राबिया पत्नी रमजानी, जाति–शेरानी, उम्र–60साल, निवासी–शेरानी आबाद, उपतहसील–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, हाल,निवासी–अम्बाली, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. दीनमोहम्मद पुत्र उमरदीन, उम्र–35साल, 2. नूरमोहम्मद, पुत्र उमरदीन, उम्र–33साल, 3. मोहब्बतअली पुत्र उमरदीन, उम्र–27साल, 4. लियाकतअली पुत्र उमरदीन, उम्र–25साल, 5. सुफिया पत्नी उमरदीन, उम्र–60साल, 6. शहादत पुत्र मोहीदीनखाँ, उम्र–50साल, 7. छोटी पत्नी मोहीदीनखाँ, उम्र–80साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, उपतहसील–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act. व धारा 136 L.R.Act.

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **10.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी स्थाई रूप से ग्राम शेरानी आबाद उपतहसील छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान हालग्राम अम्बाली तहसील जायल जिला नागौर राजस्थान में रहती है एवं खेतीहर मजदूर है।

वादी का खेत शरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 152 रकबा 09.14 बीघा है। नकल खतौनी पेश है।

उपर्युक्त भूमि पर वादी का शूरू से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है मगर उक्त भूमि पर उक्त प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त कभी नहीं रहा है। उक्त प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–208/2017
दायर दिनाँक 26.07.2017, निणर्य दिनाँक 10.11.2017
राबिया बनाम् दीनमोहम्मद, वगैरा।

संख्या 01 ता 07 को उनके हक हिस्से की भूमि ग्राम डाबगाँव तहसील डीडवाना में खसरा नम्बर 171 रकबा 77 बीघा व शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 151 रकबा 23.16 है जिस पर उनका कब्जाकाश्त है।

उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उक्त प्रतिवादीगण का नाम होने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बाले–बाले बैचाण करने पर आमादा है व इस बाबत् वादी को बेदखल करने की धमकी प्रतिवादीगण ने दिनाँक 20.07.2017 को दी है, जिससे वादी के हक अधिकारों पर भारी क्लाउड छा गया है। वादी को भूमि से बेदखल करने व बैचाण करने से वादी को अजहद नुकशान होगा जिसकी पूर्ति नकदी से होना सम्भव नहीं होगा। इसलिए वादी को यह दावा पेश करना लाजमी आया है।

तहसीलदार डीडवाना को लैण्ड होल्डर व आवश्यक पक्षकार होने के कारण दावा में पक्षकार बनाया गया है परन्तु उनके खिलाफ कोई रिरिफ नहीं चाही गयी है।

बिनाय दावा मौजूदा कब्जाकाश्त भूमि में दिनाँक 20.07.2017 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 के द्वारा खेत में आकर बैचाण की धमकी देने व खेत से बेदखल करने की धमकी देने से बमुकाम् शेरानी आबाद में उत्पन्न हुई।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 152 रकबा 09.14 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण 01 ता 07 का नाम उक्त खसरे की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण से खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 तक की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश हुआ व वाद को स्वीकार किया।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 375/322 खसरा नम्बर 152 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकुलाय, वाद अनुसार, दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् कियां।

अधिवक्तागण पक्षकारान् इकबालिया जवाब के परिप्रेक्ष्य में दावा अनुसार, वाद डिक्री करवाना चाहते हैं। पक्षकारान् ने निवेदन किया है कि, प्रतिवादीगण को बतौर उनका बन्ट व हिस्सा की भूमि के रूप अन्य भूमि दे दी गयी है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। वाद में किसी को आपत्ति का नहीं होने व प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब पेश होने से वाद वादी स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादी, स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–208/2017
दायर दिनाँक 26.07.2017, निणर्य दिनाँक 10.11.2017
राबिया बनाम् दीनमोहम्मद, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद शेरानी आबाद पटवार क्षेत्र शेरानी आबाद भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खादूखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 152 रकबा 09.14 बीघा सम्पूर्ण का वादी राबिया को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम उक्त खसरे की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **10.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 208/2017 दायर दिनाँक 26.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. राबिया पत्नी रमजानी, जाति–शेरानी, उम्र–60साल, निवासी–शेरानी आबाद, उपतहसील–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, हाल,निवासी–अम्बाली, तहसील–जायल, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. दीनमोहम्मद पुत्र उमरदीन, उम्र–35साल, 2. नूरमोहम्मद, पुत्र उमरदीन, उम्र–33साल, 3. मोहब्बतअली पुत्र उमरदीन, उम्र–27साल, 4. लियाकतअली पुत्र उमरदीन, उम्र–25साल, 5. सुफिया पत्नी उमरदीन, उम्र–60साल, 6. शहादत पुत्र मोहीदीनखाँ, उम्र–50साल, 7. छोटी पत्नी मोहीदीनखाँ, उम्र–80साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानीआबाद, उपतहसील–छोटीखाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act. व धारा 136 L.R.Act.

दिनाँक 10.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद शेरानी आबाद पटवार क्षेत्र शेरानी आबाद भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खाटूखुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 152 रकबा 09.14 बीघा सम्पूर्ण का वादी राबिया को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का नाम उक्त खसरे की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 10.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner